फा.सं. 12012/01/2015-सीए-III

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 08 जनवरी, 2016

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोयले की बिक्री के लिए कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत कोयला खानों/ ब्लॉकों के आबंटन हेतु अपफ्रंट भुगतान और आरक्षित मूल्य के निर्धारण की पद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2014 के नियम 8 (3) तथा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 की धारा 8 (5) का हवाला देने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोयले की बिक्री के लिए कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत कोयला खानों/ ब्लॉकों के आबंटन हेतु अपफ्रंट भुगतान और आरक्षित मूल्य के निर्धारण की पद्धति को निम्नानुसार अनुमोदित कर दिया हैः-

"आबंटन के लिए अपफ्रंट भुगतानः- कोयला ब्लॉक के अंतर्भूत मूल्य का हिसाब बट्टागत नकद प्रवाह (डीसीएफ) पद्धति आधार पर इसके निवल वर्तामान मूल्य (एनपीवी) की संगणना के द्वारा लगाया जाएगा। आबंटन दस्तावेज में दिए गए अनुसार इस अंतर्भूत मूल्य का 10% तीन किश्तों में अर्थात् 5%, 2.5% और 2.5% में अपफ्रंट देय हुआ। यह विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए सरकारी कंपनियों को आबंटित कोयला खानों/ब्लॉकों के लिए अपफ्रंट भुगतान का हिसाब लगाने के लिए प्रयुक्त पद्धति के समान हैं।"

आबंटन के लिए आरक्षित मूल्यः- पश्चिम बंगाल राज्य जहां रॉयल्टी रुपए प्रति टन में निर्धारित की जाती है, में आबंटितियों सहित सफल आबंटिती द्वारा कोयले के वास्तविक उत्पादन के अनुसार प्रासंगिक कोयला धारी राज्य सरकार को प्रति टन आधार पर प्रचलित दर के अनुसार कोयले पर रॉयल्टी की राशि के समान आरक्षित मूल्य देय होगा। इस राशि का हिसाब बीजक में करों, उपकरों और अन्य प्रभारों को छोड़कर दर्शाए गए कोयले के मूल्य पर मूल्यानुसार रॉयल्टी की मौजूदा/प्रचलित दर के अनुसार लगाया जाएगा। कोयले पर देय सांविधिक रॉयल्टी और अन्य उपकर मौजूदा नियमों के अनुसार प्रशासित रहेंगे।

(ए.के. दास)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 23073936

नामित प्राधिकारी,

कोयला मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः

टीडी (एनआईसी)- अनुरोध है कि इसे कोयला मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।